

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 142/2020

प्रार्थी : -

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री लीलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज
अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 13.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 6284 दिनांक 21.12.2009 बुक संख्या 126 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।



प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि विरुद्ध पारित बुक संख्या 126 पट्टा संख्या 6284 दिनांक 21.12.2009 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि ग्राम पंचायत वासा के खसरा नं. 896/1 की 05 बीघा आवंटित भूमि जांबेजी मंदिर जाने वाले रास्ता मुख्य सड़क पर बेशकीमती और उपयोग आबादी भूमि वर्ष 2006 में आबादी आवंटित होने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 में ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर वर्ष 2009 में चार परिवारों को पट्टे जारी किए गए, जो गलत है। यह है कि उक्त विवादित पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत पात्रता नहीं रखता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त पट्टा संख्या 6284 दिनांक 21.12.2009 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।



जिला कलक्टर, सिरोही

अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया परन्तु बहस हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जवाब में अंकित किया गया कि अप्रार्थी संख्या दो की ग्राम वासा की पुरानी आबादी में स्थित सामलाती डबल मंजिला मकान जिनमें अप्रार्थी संख्या दो के अतिरिक्त तीन भाईयों के डबल मंजिल मकान है एवं इनकी खातेदारी भूमि व कूप एवं चार पहिया वाहन भी है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो एवं इनके भाई सम्पन्न परिवार से है एवं गुजरात में व्यवसाय करते है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने तत्कालीन सरपंच से मेल-मिलाप कर नियम 158 के तहत पट्टा जारी करवाया है जबकि अप्रार्थी संख्या दो इसकी पात्रता नहीं रखता है।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चौहान द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियमों के आधार पर रियायती दर पर शुल्क जमा कर पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित भूखण्ड पर पुश्तैनी व पुराना कब्जा है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने पत्थरों से दीवार बनाकर टीनशेड तथा झोंपडा बनाकर पशुओं को बांधते है एवं स्वयं भी निवास कर रहे है। यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है कि अप्रार्थी संख्या दो के पट्टे के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की जावे। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो आवेदन पत्र के मापदण्डों की प्रक्रिया पूर्ण कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो ने पट्टा प्राप्त करते समय किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। यह है कि अप्रार्थीगणों के अलावा भी कई लोगों को इस क्षेत्र में पट्टे जारी किए गए थे एवं पट्टे के अडौस-पडौस में भी गांव के अन्य लोगों को पट्टे जारी किए गए है। अप्रार्थी संख्या दो को हैरान-परेशान करने की नियत से एवं जाति विशेष को लक्ष्य बनाकर उक्त निगरानी पेश की गई। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त विवादित पट्टे का उपपंजीयक भावरी द्वारा पंजीयन करवाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।




उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का संक्षिप्त निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा संख्या 6284 दिनांक 21.12.2009 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट ग्राम पंचायत वासा द्वारा शुल्क 1410/-रूपए लेकर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार-

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन- (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23-ग में जारी किया जा सकेगा)

जिला कलेक्टर, सिरोही

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा खसरा नं. 896/1 की आवंटित भूमि, जो वर्ष 2006 में आबादी आवंटन हुई थी, पर जारी किया गया है। यह है कि उक्त आवंटित भूमि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के अनुसार ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कार्यवाही कर पट्टा जारी किया जाना था। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के अनुसार जब कभी आबादी के विकास के लिए भूमि किसी पंचायत को अंतरित की जाए तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी, उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का भावी विकास अनुमोदित विकास योजना के अनुसार किया जाएगा। परन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक ने बिना भूमि का विकास प्लॉन तैयार किए एवं बिना अनुमोदन ही विक्रय विलेख जारी किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत वासा द्वारा उक्त पट्टा नियम 158 के तहत श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्ति होने के आधार पर जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत वासा द्वारा दिनांक 09.06.2021 को मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम वासा में डबल मंजिला मकान एवं खातेदारी भूमि व कूप स्थित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो के मकान का फोटो भी संलग्न किया है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त विवादित भूमि पर पुराना व पैतृक कब्जा रहा है, जबकि आवंटित भूमि खसरा नं. 861/1 वर्ष 2006 में आवंटित हुई थी। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो को आवंटित भूमि के अर्धौस-पडौस में अन्य लोगों को भी पट्टे जारी किए गए हैं, जबकि पट्टों में अंकित चतुर्दशी का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो व उसके भाईया के अतिरिक्त किसी को भी पट्टा जारी नहीं किया जाना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा लिखित में कोई आदेश निगरानी प्रस्तुत करने हेतु पारित नहीं किया, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/जिपसि/पंचायत/2019/368 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया था। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किया गया पंजीकृत पट्टे का सवाल है तो इस न्यायालय की लार्डब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में बताया गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential.




जिला पंचायत सिरोही

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत वासा द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 6284 दिनांक 21.12.2009 बुक संख्या 126 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।




(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिराही